केस स्टडी-01/2025

जारी तिथि : 08.01.2024

SPAD

घटनाक्रम:- मध्य रेल्वे के **पुणे डिवीजन** में दिनांक 29.12.24 को लोको क्र. 60093, SRE/WAG-12, ट्रेन क्र. LONI BCE (LD), लोड : 42+1=3912T, BPC: 95.29% (Escorts BMBS-37 & KBD BMBS-5) गाड़ी कार्य करते समय कर्मीदल ने **दौंड जंक्शन** (DD) स्टेशन का होम सिग्नल जो एक पीला था, उसे 27 Kmph से पार किया। फर्स्ट फेसिंग पॉइंट से गुजरते समय गाड़ी की गति 07 Kmph थी। कर्मीदल ने दौंड यार्ड लाइन नं. UDGL-1 का स्टार्टर सिग्नल S-59 (दृश्यता दुरी - 420 मीटर) को 20 Kmph की गति से ऑन स्थिति में पार करके मोटर पॉइंट नं. 136 बर्स्ट करके लगभग 171 मीटर बाद खड़ी हुई (समय: 05.05 बजे)।

संभावित कारण:-

- शायद माइक्रो स्लीप के कारण कर्मीदल द्वारा UDGL-1 स्टार्टर सिग्नल के संकेत को देखने में विफल रहना और सिग्नल S-59 से पहले ट्रेन को रोकने में असफल रहा।
- सहायक लोको पायलट द्वारा समय पर RS वाल्व का न खोलना।

उपरोक्त घटना से सबक:-

- ✓ गाड़ी कार्य करने से पहले पूर्ण विश्राम लें तथा गाड़ी कार्य के दौरान हमेशा सतर्क रहें।
- ✓ लोको पायलट/ सहायक लोको पायलट स्टेशन/लाइन/सिग्नल नंबर के साथ हाथ के इशारे से सिग्नल के संकेत को ज़ोर से पुकारें।
- ✓ एक पीला सिग्नल मिलने के बाद, ALP ने LP को बार बार याद दिलाना चाहिए कि आगे सिग्नल लाल है।
- ✓ गाड़ी संचलन के दौरान अन्य किसी कार्य में व्यस्त ना हो एवं पूरा ध्यान सिग्नल संकेत पर रखें।
- ✓ ALP को पीला सिग्नल पार करने के बाद RS वाल्व पर हाथ रखना चाहिए, जब तक कि ट्रेन स्टॉप सिग्नल से पर्याप्त दूरी पर न रुक जाए।
- ✓ ALP को LP की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए व किसी भी खतरे की स्थिति को भांपते हुए तुरंत RS वाल्व खोल देना चाहिए।

(निखिल सिंह)
वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।